

न्यायालय – प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)(पीठासीन अधिकारी—: श्रीमती शिल्पा तिवारी)फाईलिंग नम्बर-230301052472015टेक नम्बर-3व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक:57ए/2015संस्थित दिनांक 15.10.15

1. दशरथ पुत्र रामलाल उम्र-50 वर्ष

जाति-तेली, धंधा-मजदूर निवासी-छिरीयापुरा टपपा सुरपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड,म.प्र.

.....आवेदक

ब न अ म

=

1. रामौतार सिंह पुत्र- बटेश्वरी दयाल, उम्र-65 वर्ष

2. उमाशंकर पुत्र- बटेश्वरी दयाल, उम्र-45 वर्ष

निवासीगण-छिरीयापुरा टपपा सुरपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड,म.प्र.

.....अनावेदकगण

आ दे श(आज दिनांक 07.12.15 को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी दिनांक 14.10.15 का निराकरण किया जा रहा है।

2. वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता रामलाल एवं डिल्लीराम दो भाई थे जिनमें रामलाल से वादी एक मात्र पुत्र संतान है तथा डिल्लीराम के कोई पुत्र संतान न होने से तथा वादी की मां की मृत्यु वादी के जन्म के एक माह

पश्चात ही होने से वादी का लालन पालन ताउ डिल्लीराम तथा ताई यशोदाबाई ने किया और अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति व रिहायशी मकान एवं मकान के उत्तर की ओर और रास्ते के बीच में वादी की करीब 15 फुट चौड़ी व 47 फुट लम्बी जगह तथा एक पुश्तैनी मकान ग्राम छिरीयापुरा में स्थित है वादी को विरासत में प्राप्त हुआ है। इस मकान की चतुरसीमा पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रामौतार का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में रघुवर का रिहाशी मकान जिसका नक्शा वादपत्र के साथ संलग्न है, जिसमें वादोक्त दीवाल को लाल स्याही से ए,बी, से दर्शित किया गया है तथा पूरे मकान को ए,बी,सी,डी में उल्लिखित किया है तथा फर्द भूखण्ड को ई,एफ से चिन्हित किया गया है। वादोक्त दीवाल एवं फर्द जगह लाल स्याही से अंकित है जो वादपत्र का अंग है।

3. वादी ने आवेदन में आगे वर्णित किया कि इसी वादी के वादोक्त मकान के पिछवाड़े पश्चिम की ओर वादी के दो कमरे तथा उपर दो मंजिला बने हुये हैं जिसमें पश्चिम की दीवाल प्रतिवादी क्र.-1 व 2 के मकान से लगी हुई है, जिसकी लम्बाई 18 फीट तथा चौड़ाई 14 इंच की है जो वादी के पूर्वजों ने मकान खरीदते समय ही पक्की ईंट व सीमेन्ट से बनायी थी जिसपर वादी के पिता के समय एक मंजिल कमरा बना था वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 25.4.1996 को प्रतिवादी क्र.-1 के टैक्टर से दुर्घटना में हो गयी, उसके पश्चात वादी मजदूरी के सिलसिले में बच्चों को लेकर दिल्ली चला गया और वापिस आकर उक्त कमरे पर दूसरी मंजिल का निर्माण किया जो वर्ष 2000 से निर्मित है। यही पश्चिमी दीवाल विवादित है अब प्रतिवादीगण वादी के मकान से लगे उत्तरी खाली जगह पर भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात तथा वादी के बाहर रहने के कारण प्रतिवादी क्र.-1 ने इस भय से कि वादी के पिता की मृत्यु का कोई आपराधिक प्रकरण प्रतिवादी क्र.-1 पर संचालित न करे इस कारण वादी के बगैर जानकारी में मिथ्या आधार लिखते हुये एक व्यवहार वाद व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया और जिसमें पौशीदा तौर पर वादी तथा उसके ताउ की अपने मेली गवाहन से फर्जी तामील कराकर वादी तथा उसके ताउ की जानकारी के बगैर प्रतिवादी क्र.-1 ने अपने वकील को नियुक्त कर न्यायालय में वादी एवं उसके ताउ डिल्लीराम की तरफ से उपस्थिति दर्ज करायी और पुनः वकील बदलकर दूसरे वकील को नियुक्त किया और उसके पश्चात वादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कराकर इस

आशय की डिग्री प्राप्त कर ली कि वादी के मकान की पश्चिम दीवाल प्रतिवादी क्र.-1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिसपर वादी तथा उसके ताउ ने अवैधानिक रूप से पट्टिया रख ली है, उन्हें खाली कराया जाये और उक्त दीवाल पर प्रतिवादी क्र.-1 के स्वामित्व की होने से स्वामी है जो वादी एवं उसके ताउ डिल्लीराम की बगैर जानकारी में प्रतिवादी क्र.-1 ने साजिशसन दिनांक 09.02.02 को डिग्री प्राप्त की और उसके आधार पर अभी आकर डिक्री के प्रवर्तन कराये जाने हेतु कार्यवाही की जिसकी सर्वप्रथम जानकारी वादी को गांव में तब हुई जब दिनांक 22.9.15 को वादी की दीवाल से पट्टिया हटवाने का आदेश लेकर न्यायालय का तामील वाहक गया । वादी ने जानकारी होने पर तत्काल न्यायालय भिण्ड में आकर प्रकरण की खोजबीन की तो उसे मालूम हुआ कि वादी के गांव में न रहने के दौरान यह सारी कार्यवाही प्रतिवादी क्र.-1 ने गोपनीय तरीके से और आज्ञाप्ति प्राप्त की है। वादी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति अपने पक्ष में, बताते हुये प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अनावेदकगण को विवादित भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने बाबत एवं प्रथम न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश के यहां संचालित डिक्री के इजरा प्रवर्तन की कार्यवाही प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रखे जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

4. अनावेदकगण क्र.-1 व 2 ने आवेदन का विरोध कर व्यक्त किया कि प्र.क्र. 22ए/1 में इजरा की कार्यवाही कानून नहीं रोकी जा सकती है, क्योंकि दिनांक 9.10.02 को वादी व उसके पिता डिल्लीराम द्वारा जबाब पेश न करने पर एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर पारित की गयी है। एकपक्षीय डिग्री को निरस्त कराने हेतु वादी एवं उसके पिता डिल्लीराम ने तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 के न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 के अधीन आवेदन पेश किया था जो दिनांक 2.3.12 को निरस्त हो गया है जिसके विरुद्ध वादी और उसके पिता ने सक्षम न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं की । विवादित जगह इ.एफ का विवाद इजरा के प्रकरण में नहीं है और नाही उक्त जगह पर वादी का कोई कानूनी स्वत्व व आधिपत्य है प्रतिवादी क्र.-2 ने उक्त जगह वर्ष 2010 में प्रतिवादी क्र.-1 से 7000 हजार रुपये में क़य की है। अतः वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही सिद्धांत न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन के निराकरण हेतु निम्न लिखित विचारणीय बिन्दु हैं।

- (1) क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
- (2) क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- (3) क्या प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने पर वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

विचारणीय बिन्दु कं. 5(1,2,3) पर निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

6. साक्ष्य की पुर्नवृत्ति को रोकने के लिये सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं। इस प्रश्न के अभिनिर्धारण हेतु सर्वप्रथम यह विचार करना आवश्यक है कि क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई गंभीर प्रश्न अंतर्वलित है जिसके आधार पर वांछित अनुतोष दिया जाना संभावित प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में वाद पत्र में प्रस्तुत किये गये अभिवचनों पर विचार करना होगा जिसके अनुसार वादी ने वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित ए.बी भाग एवं ई. एफ भाग को विवादित बताते हुये उसके संबंध में स्वत्व धोषणा एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा तथा एकपक्षीय डिग्री दिनांक 9.10.02 को स्वयं के मुकाबले शुन्य एवं प्रभावहीन धोषित कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया है।

7. यहां यह अवलोकनीय है कि वादी ने अपने आवेदन में अभिव्यक्त किया है कि उसके और उसके ताउ की जानकारी के बजाय प्रतिवादी क्र.-1 ने मैली वकील को नियुक्त कर उनकी उपस्थित दर्ज कराकर और पुनः दूसरे वकील को नियुक्त कर वादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिग्री प्राप्त की है तथा वादी ने उक्त डिग्री की जानकारी 22. 9.15 को उक्त एकपक्षीय डिग्री के पालन में न्यायालय के तामील वाहक को दीवाल से पटटियां हटवाने का आदेश लेकर आने पर होना अभिव्यक्त किया है। वादी द्वारा अपने समर्थन में प्रकरण में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश के प्र.क्र.22ए/2001 इ.दी में इस प्रकरण के प्रतिवादी रामौतार द्वारा वादी दशरथ एवं डिल्लीराम के विरुद्ध प्रस्तुत दावे एवं उक्त दावे में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2002 मय डिग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसका अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उक्त वाद में

प्रतिवादी रामौतार के पक्ष में एवं वादी दशरथ एवं डिल्लीराम के विरुद्ध निर्णय पारित कर ग्राम छिरियापुरा में स्थित मकान के पूर्व दिशा में स्थित दीवाल का रामौतार को स्वामी एवं वादी दशरथ व डिल्लीराम को वादग्रस्त दीवाल पर रखी हुयी पटिया हटाने का आदेश प्रदान किया गया था।

8. यहां यह अवलोकनीय है कि वादी ने एक पक्षीय डिक्री की जानकारी उसे दिनांक 22.9.15 को होना अभिव्यक्त किया है। इसी क्रम में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाब अवलोकनीय है जिसमें प्रतिवादी ने उक्त आदेश दिनांक 09.10.02 के विरुद्ध वादी दशरथ एवं डिल्लीराम द्वारा आदेश 9 नियम 13 के अधीन तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना व्यक्त करते हुये अपने समर्थन में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के प्र.क्र. 2/11 में वादी दशरथ एवं डिल्लीराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उक्त प्रकरण में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी दशरथ ने प्र.क्र. 22ए/2002 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.02 को निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण निरस्त हुआ था। यहां यह अवलोकनीय है कि वादी ने अपने आवेदन में आदेश 9 नियम 13 के अधीन कार्यवाही करने के तथ्य को छुपाया है। अतः वादी का दिनांक 22.9.15 को एक पक्षीय डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी होने बाबत तथ्य विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है।

9. यह अवलोकनीय है कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रामौतार को विवादग्रस्त भाग का भूमि स्वामी घोषित किया गया है और उक्त डिक्री वर्तमान में अस्तित्व में है वादी ने एकपक्षीय डिक्री में पारित आदेश के प्रवर्तन को रोकने की सहायता चाही है इसी क्रम में यह अवलोकनीय है कि जिन परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय को जारी करने हेतु सक्षम बनाया गया है उक्त दशाओं को आदेश 39 नियम 1 व 2 में बताया गया है। आदेश 39 नियम 1 के अधीन डिक्री के निष्पादन में विवादग्रस्त सम्पत्ति का सदोष विक्रय कर दिये जाने के खतरे की अवस्था में ही अस्थाई व्यादेश जारी करने का प्रावधान दिया गया है।

10. यहां यह अवलोकनीय है कि उक्त निष्पादन की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु आमदा है इस बाबत कोई अभिव्यक्ति

वादी ने नहीं की है। वादग्रस्त भूमि वादी के आधिपत्य व स्वामित्व की है या नहीं यह साक्ष्य की विषय वस्तु है जिसका निराकरण साक्ष्य उपरांत ही किया जाना संभव है।

11. अतः उपरोक्त विवेचना से प्रथम दृष्टया मामला ,सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति तीनों ही सिद्धान्त वादी के पक्ष में न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

12. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर
टंकित किया गया

श्रीमती शिल्पा तिवारी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)

श्रीमती शिल्पा तिवारी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)